भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3071

गुरूवार, 21 दिसंबर, 2023/(30 अग्रहायण, 1945 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

प्रशिक्षण और कौशल विकास संस्थान

3071. श्री देवजी पटेल:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने विमानन क्षेत्र में प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए संस्थानों की स्थापना करने के संबंध में कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकारी संस्थानों में विमानन क्षेत्र में कितने छात्रों को प्रशिक्षति किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने विमानपत्तनों पर अगनि शमन के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण हेतु कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्थानों और पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) विमानन क्षेत्र में प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र (एनएसडीसी) और एयरोस्पेस एंड एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल (एएएसएससी) के साथ मिलकर विमानन क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ और मुंबई में विमानन कौशल केंद्र स्थापित किए हैं और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निम्नलिखित जॉब रोल्स की पहचान की है:

1) एयरलाइन कस्टमर सर्विस एक्जिक्यूटिव

2) एयरलाइन रिजर्वेशन एजेन्ट

3) एयरलाइन कार्गो असिस्टेंट

4) एयरलाइन रैंप एक्जिक्यूटिव

5) एयरलाइन फ्लाइट लोड कंट्रोलर

6) एयरलाइन सिक्योरिटी एक्जिक्यूटिव

7) एयरपोर्ट एक्स रे क्वालिफाइड स्टाफ

8) एयरपोर्ट फैसिलिटी सर्विसेज

9) एयरलाइन बैगेज हैंडलर

(ii) देश में प्रशिक्षित पायलटों की संख्या बढ़ाने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) एक उदारीकृत उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) नीति लेकर आया है, जिसके अंतर्गत हवाईअड्डे की रॉयल्टी (एफटीओ द्वारा एएआई को राजस्व शेयर भुगतान) की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है और भूमि किराये को उपयुक्त रूप से तर्कसंगत बना दिया गया है।

(iii) वर्ष 2021 में, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बेलगावी (कर्नाटक), जलगांव (महाराष्ट्र), कलबुर्गी (कर्नाटक), खजुराहो (मध्य प्रदेश) और लीलाबारी (असम) में पांच हवाईअड्डों पर नौ एफटीओ स्लॉट प्रदान किए हैं। जून 2022 में, बोली के दूसरे चरण के अंतर्गत, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पांच हवाईअड्डों नामतः भावनगर (गुजरात) में दो स्लॉट तथा हुबली (कर्नाटक), कडप्पा (आंध्र प्रदेश), किशनगढ़ (राजस्थान) और सालेम (तमिलनाडु) पर एक-एक स्लॉट के साथ कुल छह एफटीओ स्लॉट प्रदान किए गए थे।

वर्तमान में, देश में 55 केंद्रों पर 34 उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) कार्यरत हैं जो कैडेटों को उड़ान प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

(iv) नागर विमानन महानिदेशालय, ड्रोन नियमावली 2021 के अनुसार ड्रोन प्रशिक्षण स्कूलों को मंजूरी प्रदान करता है। इन नियमों के अंतर्गत, वर्तमान में, देश भर में ड्रोन प्रशिक्षण/कौशल प्रदान करने के लिए 76 ड्रोन प्रशिक्षण स्कूलों को मंजूरी दी गई है।

(v) 03 हवाई यातायात सेवा प्रशिक्षण संगठन (एटीएसटीओ) हैं।

(vi) एटीसीओ के लिए 08 विमानन अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण संगठन (एईएलटीओ) हैं।

(vii) बुनियादी रखरखाव प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) - 147 (बेसिक) के तहत नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा कुल 56 विमान रखरखाव इंजीनियरिंग (एएमई) प्रशिक्षण संस्थानों को मंजूरी दी गई है।

(ख) आईजीआरयूए में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षित छात्रों की संख्या अनुबंध I में दी गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (आरजीएनएयू) में प्रशिक्षित छात्रों का विवरण अनुबंध II में है।
नागर विमानन महानिदेशालय के अनुसार, 5393 छात्रों ने केंद्र/राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नियंत्रित आरपीटीओ से रिमोट पायलट सर्टिफिकेट (आरपीसी) प्राप्त किए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के निम्नलिखित दो प्रमुख अग्निशमन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हैं:

1. अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र (एफटीसी) नई दिल्ली।
2. अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र (एफएसटीसी) कोलकाता।

इन अग्निशमन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में ऑफर किए जाने वाले पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं:-

क्रम सं.	**पाठ्यक्रम का नाम**
1.	बेसिक ट्रेनिंग कोर्स
2.	फायरमैन शिप
3.	जूनियर फायर ऑफिस
4.	ऑफीसर्स कोर्स
5.	जूनियर एक्जिक्यूटिव्स
6.	सीनियर फायर ऑफीसर्स

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाईअड्डों पर तैनात सभी अग्निशमन कर्मी, अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र द्वारा निर्धारित योग्यता/पात्रता मानदंडों के अनुसार क्षमता निर्माण से गुजरते हैं। सभी गैर-कार्यकारी जिन्होंने कोई अग्निशमन प्रशिक्षण नहीं लिया है, उन्हें अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्रों में

पुनश्चर्या प्रशिक्षण में भाग लेना होगा। दोनों प्रशिक्षण केंद्र राज्य अग्निशमन कर्मियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

******

अनुबंध I

पिछले तीन वर्षों के दौरान इग्नुआ में प्रशिक्षित छात्रों का ब्यौरा

कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) ट्रेनिंग:	
छात्र	221
भारतीय तट रक्षक	12
कुल	233

अंग्रेजी भाषा दक्षता (ईएलपी) प्रशिक्षण एवं परीक्षण:	
प्रशिक्षण एवं परीक्षण	253
परीक्षण	36
कुल	289

ड्रोन पायलट ट्रेनिंग:	
ड्रोन पायलट	1029
ड्रोन इंसट्रक्टर	383
कुल	1412

स्रोत: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्नुआ)।

अनुबंध II

लोक सभा के दिनांक 21.12.2023 के अतारांकित प्रश्न सं. 3071 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आरजीएनएयू में प्रशिक्षित छात्रों का विवरण

क्रम. सं.	**कार्यक्रम/पाठ्यक्रम का नाम**	**कार्यक्रम/पाठ्यक्रम की अवधि**	**छात्रों की संख्या**
1.	हवाईअड्डा प्रचालन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	18 माह	98
2.	विमानन सेवाओं और विमान कार्गो में प्रबंधन अध्ययन स्नातक	03 वर्ष	156
3.	बेसिक फायर फाइटर्स कोर्स	06 माह	359

स्रोत: राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (आरजीएनएयू)।